NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

New Indian Express, Chennai, 23/06/2026

Page No: 1, Size: 22.49cm × 16.46cm

Toll up to 8 in ammonia leak, 6 more die in hosp

RAJALAKSHMI SAMPATH @Chennai

THE death toll in Sunday's ammonia gas leak at St Peter & Paul Sea Foods Exports in Kannigaipair, Tiruvallur district, rose to eight after six more, including a 15-year-old girl, died in hospital on Monday. Seven of the victims — R Shibani, Phulomani Juang, Geetha Juang, Purnima Juang, Champabati Juang, J Parvathi Juang and the minor girl — belonged to a Scheduled Tribe community from Odisha's Kendujhar district. The eighth victim, G Sita Hasda, was from Assam.

Labour Welfare and Skill Development Minister J Mohamed Parvas told the Assembly on Monday that the gas leak occurred due to an unexpected fault in a valve connected to a pipeline leading to an ice flake generator machine.

Sunday's incident was not the first at the facility. Police sources said an ammonia leak was reported at the same unit in 2014. An affected worker, hospitalised on October 23 that year, died of complications on January 15, 2015. A case registered in connection with that death is being heard by a Tiruvallur court. **P7**

EMERGENCY ALARM FAILED: P2

NHRC asks chief secy to submit report in 2 weeks

CONTINUED FROM PAGE 1

ACCORDING to a health department bulletin on Monday, the leak affected 77 workers, including 70 women, of whom 68 remain under treatment in Vels Hospital (28), Venkateswara Hospital (18), Rajiv Gandhi Govt GH (12) and Government Stanley MCH (10). Workers from Odisha (29) accounted for the highest number of affected persons, followed by Assam (20), Jharkhand (8), TN (5), Kerala (3), WB (1). The home state of two persons is yet to be ascertained.

The bodies of those who died at government hospitals would be kept in the mortuary of the respective hospitals for post-mortem, while those who died at private hospitals were shifted to the Tiruvallur GH mortuary. Odisha officials have arrived in Tiruvallur and are coordinating with local authorities over treatment of the survivors and arrangements to carry the bodies to their native villages.

Since the deceased includes a child labourer, the Periyapalayam police have added Section 3(a) (14) of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, in addition to the case they had earlier registered under Sections 105 and 125(a) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Three persons — owners M Joseph Jegan (49) of Royapuram and M Mohan (59) of Tondiarpet; and manager R Daniel (70) of Perungudi — were arrested, and remand proceedings are under way.

Doctors at Government Stanley MCH said several of the affected workers were brought in with cardiac arrest, altered sensorium, coma and nasal bleeding, indicating exposure to high concentrations of the gas.

"The patients were placed on ventilator support as they were unable to breathe. Treatment was administered based on the organs affected," the doctors said.Taking suo motu cognisance of reports on the leak, the NHRC has issued notices to the TN Chief Secretary and the DGP, seeking a detailed report within two weeks. The TN government has formed a three-member panel to probe the incident. CPM state secretary P Shanmugam termed the state's ex gratia of ₹2 lakh for each deceased worker's family inadequate and urged the govt to enhance it while ensuring substantial compensation from the factory management.

(Inputs from Sinduja Jane)

Free Press Journal, Mumbai, 23/06/2026
Page No: 2, Size: 50.06cm × 11.59cm

India's demographic story gets big-screen treatment

Demography is Destiny, screened at MIFF 2026, examines changing demographics and possible social, political implications

FPJ News Service
MUMBAI

A documentary examining India's changing demographic landscape and the declining share of the Hindu population was screened at the 19th Mumbai International Film Festival (MIFF) 2026.

Titled Demography is Destiny, the film was selected in the national competition section under the documentary category. It is directed by National Award-winning filmmaker Kamakhya Narayan Singh, known for The Kerala Story 2, and Anshuman Shekhar, and produced by Ravindra Sanghvi.

Screened on Sunday in the presence of Maharashtra ministers Ashish Shelar and Mangal Prabhat Lodha, the documentary explores how long-term population changes could affect electoral politics, cultural identity and India's social character.

It features perspectives from Padma Shri awardee Dr Jitendra Bajaj, Jawaharlal Nehru University Vice-Chancellor Prof Santishree Dhulipudi Pandit, National Human Rights Commission Chairperson Vijaya Bharathi Sayani and author Rajiv Malhotra.

Drawing on historical census data, the film examines changes in India's religious composition, fertility rates, migration, family structures and demographic variations among communities. The filmmakers argue that these trends require wider public discussion, research and policy attention.

According to the documentary, the 1881 Census recorded the majority community at around 82% of the population. Its share fell to about 70% by 1941, rose to nearly 84% after Partition and the 1951 Census, and stood at around 79% in 2011. The film also cites projections indicating a further decline over the next century.

Singh said demographic shifts can influence a nation's cultural, social and political development, adding that the film seeks to encourage serious debate.

Shelar said documentaries help bring major national issues into public discourse, while Lodha said demographic trends shape a country's social and economic trajectory. Scholars featured in the film said research-based storytelling could improve awareness of emerging challenges and opportunities.

The filmmakers said the documentary aims to engage citizens, policymakers and researchers in discussions on India's demographic future.

Source: https://www.freepressjournal.in/amp/mumbai/mumbai-film-festival-screens-documentary-on-indias-shifting-demographics-and-declining-hindu-population-share

Mumbai Film Festival Screens Documentary On India's Shifting Demographics And Declining Hindu Population Share

At the 19th Mumbai International Film Festival (MIFF) 2026, the documentary Demography is Destiny was screened on Sunday in the National Competition section. Directed by Kamakhya Narayan Singh and Anshuman Shekhar, it examines India's changing population patterns using census data and interviews, arguing long-term demographic shifts may impact politics and society, according to filmmakers
FPJ News Service Updated: Monday, June 22, 2026, 06:49 PM IST

Mumbai: A documentary examining India's changing demographic landscape and the declining share of the Hindu population was screened at the 19th Mumbai International Film Festival (MIFF) 2026 after being selected in the National Competition Section under the Documentary category.

High-Profile Screening

Titled Demography is Destiny, the film was screened on Sunday in the presence of Maharashtra ministers Ashish Shelar and Mangal Prabhat Lodha, among other dignitaries. Organised by the National Film Development Corporation (NFDC) under the Ministry of Information and Broadcasting, MIFF is regarded as South Asia's oldest and largest festival dedicated to non-feature films.

The documentary has been directed by National Award-winning filmmaker Kamakhya Narayan Singh, known for The Kerala Story 2, along with Anshuman Shekhar, and produced by Ravindra Sanghvi. It explores demographic trends across India and argues that long-term population changes could have significant implications for electoral politics, cultural identity and the nation's social character.

Core Argument of the Film

Drawing upon historical census data, the film traces shifts in India's religious composition and examines factors such as fertility rates, migration patterns, changing family structures and demographic variations among communities. The filmmakers contend that these trends warrant greater public discussion and policy attention.

Speaking on the occasion, Singh said demographic changes shape the character of nations and can influence cultural, social and political developments over time. He added that the documentary seeks to encourage a serious debate on the long-term implications of changing population patterns in India.

Director's Statement

Congratulating the filmmakers, Culture Minister Ashish Shelar said documentaries play an important role in bringing significant national issues into public discourse and fostering informed dialogue. Mangal Prabhat Lodha noted that demographic trends have a profound impact on a country's social and economic trajectory and

welcomed initiatives that encourage public engagement with such issues.

The documentary features interviews and perspectives from several scholars and public intellectuals, including Padma Shri awardee Dr Jitendra Bajaj, Jawaharlal Nehru University Vice-Chancellor Prof Santishree Dhulipudi Pandit, National Human Rights Commission Chairperson Vijaya Bharathi Sayani and author Rajiv Malhotra.

Scholars said demographic change is a subject that deserves wider awareness and serious study, adding that research-based storytelling can help society understand emerging challenges and opportunities.

According to the documentary, India's first organised census in 1881 recorded the majority community at around 82 per cent of the population. It notes that the share had declined to about 70 per cent by 1941, before rising to approximately 84 per cent following Partition and the 1951 Census. The film states that the figure stood at around 79 per cent in the 2011 Census and cites projections suggesting a further decline over the next century.

The filmmakers said the documentary aims to stimulate discussion among citizens, policymakers and researchers about the long-term demographic future of the country.

Published on: Monday, June 22, 2026, 06:49 PM IST

Source: https://www.socialnews.xyz/2026/06/22/rayagada-horror-ncw-demands-action-taken-report-within-7-days/

Home » National » Rayagada horror: NCW demands action taken report within 7 days

Rayagada horror: NCW demands action taken report within 7 days
Posted By: Gopi June 22, 2026

Bhubaneswar, June 22 (SocialNews.XYZ) The National Commission for Women (NCW) has taken suo motu cognisance of media reports concerning the mob assault, molestation, and public stripping of a 22-year-old woman intern in Rayagada district of Odisha on June 16, following false rumours of “child kidnappers”, the commission informed on Monday.

Taking to its X handle, the commission strongly condemned the incident and sought an Action Taken Report (ATR) from the Director General of Police, Odisha, within seven days. It has also asked the DGP to share details regarding the persons arrested in the case and the steps taken to prevent recurrence of such situations in the future.

“The Commission has sought details of the FIR and the provisions invoked under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the status of the investigation and arrests made, action taken against those responsible for spreading rumours, medical care, counselling, and rehabilitation provided to the survivor, measures adopted to ensure the safety of NGO workers and interns, and steps taken to prevent mob vigilantism through community policing and public awareness campaigns,” stated NCW.

Notably, petitions have also been filed by human rights activists at the National Human Rights Commission, seeking an independent inquiry into the mob violence, arrest of the persons involved in the attack on the woman and the man from outside the state, arrest status, and examination of administrative lapses.

According to police, the victims, who work for an NGO, were travelling from Daringbadi in Kandhamal district to Thuamul-Rampur in Kalahandi district via Kalyansinghpur using Google Maps.

Meanwhile, the victims were reportedly stopped and questioned by some villagers on suspicion of being child-lifters at Kandulaguda village under Dhamunipanga Panchayat, located about 7 km from Kalyansinghpur police station.

Later, as the two volunteers were returning to Kalyansinghpur after being frightened by the situation, some people allegedly spread rumours over phone calls in nearby villages that child-lifters were on the move.

The rumour quickly spread across Sainagar, Intaliguda, and the surrounding areas. Near a roadside dhaba at Sainagar, a group of youths intercepted the two volunteers and assaulted them. Within a short time, more than a hundred people gathered at the spot and joined the mob attack.

The victims were later rescued by the local police and some brave and alert youths of the locality who rushed them to the hospital for treatment.

Taking the matter seriously, the Rayagada police have so far arrested 20 persons following the examination of viral video footage of the inhuman attack on the victims.

Source: IANS

Source: https://www.orissapost.com/mass-transfer-bid-puts-tribal-education-at-risk/

Mass transfer bid puts tribal education at risk
PNN Updated: June 22nd, 2026, 10:50 IST in State, Top Stories

Nandapur: A total of 648 teachers in the undivided Koraput region have sought transfer to their home districts on medical grounds, raising concerns over potential disruption to education in tribal areas.

To verify their medical claims, the state government has constituted a special medical board, which will conduct health assessments at Shaheed Laxman Nayak Medical College and Hospital (SLNMCH), Koraput, from July 2 to July 7.

The board will examine the applicants' conditions before their transfer requests are considered.

The development has drawn criticism from local stakeholders, who fear that a large-scale transfer of teachers could adversely affect the education system in the tribal-dominated region.

Jeypore-based lawyer and human rights activist Anup Patra has written to the President, Prime Minister, Union Education Minister, Chief Minister, School and Mass Education Minister, Chief Secretary, Education Secretary and the collectors of the four districts, urging immediate intervention.

He has also approached the National Human Rights Commission (NHRC), alleging that the proposed transfers could weaken the education system in the region. The NHRC has registered the complaint under Diary No. 14232/IN/2026 for consideration.

Sources said the applicants are teachers from other districts currently posted in the four districts of the undivided Koraput region, who have sought transfers to their home districts on medical grounds.

Of the 648 applicants, 219 are serving in Koraput district, 179 in Nabarangpur, and 125 each in Rayagada and Malkangiri districts.

The proposed transfers have sparked resentment across the region.

Human rights activists and local intellectuals said that while the government claims to be strengthening education in tribal-dominated districts, a large-scale return of teachers recruited from outside the region to their home districts could severely impact the local education system.

Questioning the unusually high number of applications, they asked how 648 teachers serving in Koraput, known for its healthy natural environment, could simultaneously develop medical conditions warranting transfers.

They demanded an inquiry into the circumstances behind the mass applications.

The activists said that while employees have the right to seek transfers, the Education Department must strictly

adhere to existing transfer norms.

They urged the medical board to conduct rigorous assessments and called on the state government and district administrations to ensure complete transparency in the process.

Failure to do so, they warned, could seriously disrupt the education system in the undivided Koraput region.

Hindustan Times, Online News, 23/06/2026

Source: https://www.hindustantimes.com/india-news/5-held-in-odisha-for-assaulting-a-kerala-labourer-over-kidnapping-rumours-cop-101782128890771-amp.html

5 held in Odisha for assaulting a Kerala labourer over kidnapping rumours: Cop

The incident follows the arrest of at least 24 people on Saturday for the alleged assault of two NGO workers in Rayagada district
Published on: Jun 22, 2026 05:18 pm IST
By Debabrata Mohanty, Bhubaneswar

Five persons were arrested for allegedly assaulting a Kerala-based labourer on Sunday in Odisha's Sambalpur town amid suspicions that he was a kidnapper, police said on Monday.

According to police the arrests were made after viral videos of the assault appeared on social media.

The victim, Vishnu Sibu, a resident of Alleppey in Kerala, was rescued by a police team on Sunday and admitted to hospital. He was later discharged and sent back to Kerala on Monday.

Sambalpur additional superintendent of police (SP) Ajay Kumar Mishra said that Vishnu earlier worked as a welding labourer under a contractor in Bargarh district. He was unemployed for the past few months and had been looking for work in Sambalpur for nearly two weeks.

"While he was near Dhobapada Chhak, some locals became suspicious because of his appearance and inability to communicate in the local language. They assumed he had come to commit a crime and assaulted him," Mishra said.

One of the videos circulating on social media showed a group of people surrounding Vishnu, assaulting him and checking his bag. Another clip showed the injured man being dragged away by locals.

Police later examined the viral videos and CCTV footage from the area.

Khetrajpur police station inspector-in-charge Anil Pradhan said the assault took place in the Dhobapada area under Badabazar.

The incident follows the arrest of at least 24 people on Saturday for the alleged assault of two NGO workers in Rayagada district, who were also suspected of being kidnappers.

The Investigative Units for Crime Against Women (IUCAW) of Odisha police is investigating the case. A petition has also been filed with the National Human Rights Commission (NHRC) seeking monetary compensation for the two

victims.

Source: https://www.etvbharat.com/en/state/rayagada-mob-violence-strictest-punishment-in-store-for-culprits-says-caw-cw-adgp-enn26062207152

ETV Bharat / state

Rayagada Mob Violence: 'Strictest Punishment In Store For Culprits', Says CAW & CW ADGP

Additional DG Shyni S said CAW & CW will closely monitor the case and court hearings, reports Satyajit Rout.
By ETV Bharat English Team
Published : June 22, 2026 at 10:12 PM IST

Bhubaneswar: Crime Branch's Crime Against Women & Children Wing (CAW & CW) Additional DG Shyni S on Monday said stringent punishment will be meted out to those who assaulted two NGO workers including a woman in Odisha's Rayagada.

Shyni said people from all sections of the society should ensure that such incidents should not happen again. She thanked and expressed her gratitude to those who rescued the victims. The officer assured all assistance for the victims while reiterating that efforts would be made to ensure such incidents do not recur.

"We will monitor the investigation of the case properly. We will also monitor the court hearings. All steps will be taken to ensure that the accused get strictest punishment", said the ADG.

Meanwhile, the state president of National Human Rights Commission (NHRC) Subrata Kumar Dash has filed a petition with the panel regarding this incident. He has requested the Commission team to intervene in the incident and send a team to Odisha for investigation.

Dash said Rayagada District Collector, SP, DG of Police, Home Secretary, Chief Minister and Governor have been made parties in the petition.

The National Commission for Women too has taken suo motu cognizance of media reports regarding the mob assault, molestation, and public stripping of the 22-year-old woman intern in Rayagada.

"The National Commission for Women has taken suo motu cognizance of media reports concerning the mob assault, molestation, and public stripping of a 22-year-old woman intern in Rayagada, Odisha, on 16 June 2026, following false rumours of child kidnappers", said the NCW in a statement.

"Strongly condemning the incident, the Commission has sought an Action Taken Report (ATR) from the Director General of Police, Odisha, within seven days," it said.

The statement further said, "The Commission has sought details of the FIR and the provisions invoked under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the status of the investigation and arrests made, action taken against those responsible for spreading rumours, medical care, counselling, and rehabilitation provided to the survivor, measures adopted to ensure the safety of NGO workers and interns, and steps taken to prevent mob vigilantism

through community policing and public awareness campaigns".

Source: https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2026/Jun/22/tiruvallur-ammonia-gas-leak-death-toll-rises-to-eight-15-year-old-among-victims

Tamil Nadu
Tiruvallur ammonia gas leak death toll rises to eight; 15-year-old among victims

Labour Welfare Minister J Mohamed Parvas told the state Assembly on Monday that the gas leak occurred due to an unexpected fault in a valve connected to a pipeline leading to an ice flakes generator machine at the unit.
Rajalakshmi Sampath
Updated on: 22 Jun 2026, 11:52 pm

CHENNAI: The death toll in Sunday's ammonia gas leak at St Peter & Paul Sea Foods Exports in Kannigaipair, Tiruvallur district, rose to eight on Monday after six more, including a 15-year-old girl, died in hospital.

All the victims belong to a Scheduled Tribe community in Odisha's Kendujhar district. The deceased were identified as R Shibani, Phulomani Juang, Geetha Juang, Purnima Juang, Champabati Juang, J Parvathi Juang, Sita, and the minor girl.

Labour Welfare and Skill Development Minister J Mohamed Parvas told the Tamil Nadu Assembly on Monday that the gas leak occurred due to an unexpected fault in a valve connected to a pipeline leading to an ice flakes generator machine at the unit.

Sunday's incident was not the first at the facility. Police sources said an ammonia leak was reported at the same unit in 2014. An affected worker, who was hospitalised on October 23 that year, died of complications on January 15, 2015. A case registered in connection with that death is being heard by a Tiruvallur court.

According to a health department bulletin issued on Monday evening, the leak affected 77 workers, including at least 70 women, of whom 68 remain under treatment at Vels Hospital (28), Venkateswara Hospital (18), Rajiv Gandhi Government General Hospital (12), and Government Stanley Medical College Hospital (10). Workers from Odisha (29) accounted for the highest number of affected persons, followed by Assam (20), Jharkhand (8), Tamil Nadu (5), Kerala (3), and West Bengal (1). The home state of two persons is yet to be ascertained.

The bodies of those who died at various government hospitals will be kept in the mortuary of the respective hospitals for post-mortem examinations, while those who died at private hospitals were shifted to the Tiruvallur Government Hospital mortuary.

Odisha government officials have arrived in Tiruvallur and are coordinating with local authorities regarding treatment provided to the survivors and arrangements to transport the bodies to their native villages.

Since the deceased include a child labourer, the Periyapalayam police have added Section 3(a)(14) of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, in addition to the case they had earlier registered under Sections 105 and 125(a) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). Three persons, owners M Joseph Jegan (49) of Royapuram and M Mohan (59) of Tondiarpet, and manager R Daniel (70) of Perungudi were arrested, and remand

proceedings are under way.

Doctors at Government Stanley Medical College Hospital said several of the affected workers were brought in with cardiac arrest, altered sensorium, coma, and nasal bleeding, indicating exposure to high concentrations of the gas. “They had respiratory tract edema and were unable to breathe, so they had to be intubated,” a doctor said. Doctors added that organ damage is generally associated with exposure exceeding 250 ppm.

“The patients were placed on ventilator support as they were unable to breathe. Treatment was administered based on the organs affected,” the doctors said.

Taking suo motu cognisance of reports on the leak, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Tamil Nadu Chief Secretary and the Director General of Police, seeking a detailed report within two weeks. The state government has formed a three-member committee to investigate the incident.

After visiting the injured workers in hospital on Monday, CPM state secretary P Shanmugam termed the state's ex gratia payment of Rs 2 lakh for each deceased worker's family inadequate and urged the government to enhance it while ensuring substantial compensation from the factory management.

In a statement, MDMK general secretary Vaiko urged the government to implement the inquiry committee's recommendations, provide all legally entitled compensation to the bereaved families, and ensure intensive treatment for the injured workers.

Meanwhile, Labour Welfare and Skill Development Minister J Mohamed Parvas, in a Rule 110 statement in the Assembly, outlined the government's measures to treat the injured and support the victims' families.

(With inputs from Sinduja Jane)

Source: https://globalgovernancenews.com/nhrc-seeks-report-over-ammonia-leak-deaths-in-tn/

NHRC Seeks Report Over Ammonia Leak Deaths in TN

Two women died and several workers fell ill after gas leak in Tiruvallur; report sought within two weeks.
By Global Governance News On Jun 22, 2026

NHRC takes suo motu cognizance of Tiruvallur ammonia leak incident.
Two women died while several workers were hospitalised.
Notices issued to Tamil Nadu Chief Secretary and DGP.
Report to include workers' health status and compensation details.

GG News Bureau
New Delhi, 22nd June: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the death of two women and illness of several workers following an ammonia leak at a private shrimp processing factory in Tamil Nadu's Tiruvallur district.

The Commission observed that the incident, if confirmed, raises serious concerns related to human rights violations. It has issued notices to the Tamil Nadu Chief Secretary and Director General of Police, seeking a detailed report within two weeks.

The NHRC has asked the state authorities to provide details on the health condition of affected workers and the status of compensation announced for the next of kin of the deceased.

According to reports, the leak occurred on June 21 when workers were resting in a nearby room. Around 59 workers were admitted to hospitals in Chennai and Tiruvallur, while the Tamil Nadu government has formed a three-member committee to investigate the incident.

Prameya News, Online News, 23/06/2026

Source: https://www.prameyanews.com/tamil-nadu-gas-leak-tragedy-nhrc-takes-suo-motu-cognizance

Tamil Nadu gas leak tragedy: NHRC takes suo motu cognizance

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that at least two women died and several others fell sick after inhaling ammonia which got leaked at a private shrimp processing factory in the Tiruvallur district of Tamil Nadu on 21st June 2026.
Published By : Prashant Dash | June 22, 2026 6:50 PM

Delhi, June 22:The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that at least two women died and several others fell sick after inhaling ammonia which got leaked at a private shrimp processing factory in the Tiruvallur district of Tamil Nadu on 21st June 2026.

Reportedly, at the time of the incident, the employees were taking a rest in a nearby room.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the Tamil Nadu Chief Secretary and Director General of Police, calling for a detailed report on the matter within two weeks. The report is also expected to include the status of health of the workers as well as the disbursement of the relief amount announced by the state government to be paid to the next of kin (NoK) of the deceased workers.

According to the media report, carried on 22nd June 2026, 59 workers were admitted to various hospitals in Chennai and Tiruvallur soon after the incident. Reportedly, the state government has ordered the formation of a three-member committee to investigate the incident.

Source: https://www.etvbharat.com/en/bharat/nhrc-issues-notices-to-tamil-nadu-chief-secy-dgp-over-ammonia-gas-leak-deaths-in-tiruvallur-enn26062205855

ETV Bharat / bharat

NHRC Issues Notices To Tamil Nadu Chief Secy, DGP Over Ammonia Gas Leak Deaths In Tiruvallur

The panel has sought a report on the incident within two weeks. It said the report must include status of health of the workers.
By ETV Bharat English Team
Published : June 22, 2026 at 6:48 PM IST

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday took suo motu cognizance of the death of seven women and several others falling sick after ammonia leak at a shrimp processing factory in the Tiruvallur district of Tamil Nadu.

The apex human rights panel issued notices to the Tamil Nadu Chief Secretary and Director General of Police, calling for a detailed report on the matter within two weeks

The panel said the report must include the status of health of the workers as well as the disbursement of the relief amount announced by the state government to be paid to the next of kin of the deceased workers.

As many as seven women succumbed to injuries sustained during an ammonia gas leak accident reported at a private shrimp processing plant in Kannigaipair locality, a bulletin of the Tamil Nadu Health Department stated.

Presenting a statement under Rule 110 of the Tamil Nadu Legislative Assembly, Minister for Labour Welfare and Skill Development J Mohamed Farvas revealed how the Sunday ammonia leak accident incident happened and what the government has done so far.

He presented the statement amid pandemonium caused by the Opposition members from the AIADMK ranks, as Speaker JCD Prabhakar insisted the members not to intervene in the speech.

Farvas said the Sunday accident reported at Peter and Paul Sea Food Exports Private Limited in neighbouring Thiruvallur district was caused due to a leak developed in the pipeline supplying ammonia to the ice flakes generator.

News on Air, Online News, 23/06/2026

Source: https://newsonair.gov.in/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-tamil-nadu-ammonia-leak-incident/

NHRC takes suo motu cognizance of Tamil Nadu ammonia leak incident
News On AIR | June 22, 2026 8:22 PM

National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of the media report regarding the death of two women and several others falling sick after an ammonia leak at a shrimp processing factory in the Tiruvallur district of Tamil Nadu.

The Commission has issued a notice to the Tamil Nadu Chief Secretary and Director General of Police, calling for a detailed report on the matter within two weeks. It also ordered the state government to form a three-member committee to investigate the incident.

Patrika, Online News, 23/06/2026

Source: https://www.patrika.com/amp/patna-news/bharat-bhushan-tiwari-encounter-human-rights-commission-report-bihar-government-dgp-20688413

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर बड़ा एक्शन, मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार से मांगी रिपोर्ट

भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है।
पटना Rajesh Kumar Ojha Jun 22, 2026

भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और भोजपुर पुलिस अधीक्षक से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एम. बदर ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को लगभग चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग में अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी काशीनाथ तिवारी के पुत्र भरत भूषण तिवारी को फर्जी एनकाउंटर में पुलिस ने गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई।

आत्मसमर्पण के बाद गोली मारने का दावा
मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने आरोप लगाया है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। शिकायतकर्ता ने इस घटना को मानवाधिकार का उल्लंघन और कथित फर्जी एनकाउंटर बताया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार, सेवानिवृत्त जिला जज शैलेंद्र सिंह के अनुसार, नोटिस के आलोक में संबंधित अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे जांच
बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी की मौत के मामले की सरकार ने न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया है। इस जांच की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपी जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी थी। मुख्यमंत्री ने लिखा था, "भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है।"

Source: https://www.indiatv.in/bihar/human-rights-commission-takes-cognizance-of-bhojpur-encounter-case-summons-officials-2026-06-22-1226784

भोजपुर एनकाउंटर मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से लेकर DGP और SP तलब; 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
Edited By: Amar Deep @amardeepmau
Published : Jun 22, 2026 08:49 pm IST, Updated : Jun 22, 2026 09:21 pm IST

भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले का मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया है।

मुजफ्फरपुर: भोजपुर जिले में हुए एनकाउंटर के मामले की बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर द्वारा 13 जुलाई 2026 को मामले की समीक्षा की जाएगी।

मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा द्वारा इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराई जाये और दोषियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएं। उनके द्वारा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता झा ने आयोग के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के प्रति काफी सजग है। फिलहाल इस पुरे मामले पर मानवाधिकार आयोग अपनी पैनी नजर रखे हुए है।

कई पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई
बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो गई। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में ADG सुधांशु कुमार ने कहा, "एनकाउंटर से पहले 16 जून को पुलिस वाले उससे (भरत भूषण तिवारी) बात करने गए वो उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। इस मामले में लापरवाही पर हमने एक SHO, 2 SI, एक ASI और एक कॉन्स्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है।" भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने भी बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने इस मामले पर कहा, "भरत तिवारी एक बेगुनाह व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी; उनकी हत्या एक साजिश थी, और पुलिस समेत इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर इस घिनौने कृत्य के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।" (इनपुट- संजीव कुमार)

Source: https://firstbihar.com/bihar/muzaffarpur-news/bharat-tiwari-encounter-human-rights-commission-seeks-report-741428

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव-DGP और भोजपुर SP से मांगी रिपोर्ट

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी।
Mukesh Srivastava
22 जून 2026 को 07:50 pm बजे IST

Bharat Tiwari Encounter Case: भोजपुर जिले में हुए एनकाउंटर के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया हैं। मुजफ्फर निवासी मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया है और चार सप्ताह में रिपोर्ट की मांग की है।

आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर द्वारा 13 जुलाई 2026 को मामले की समीक्षा की जाएगी। विदित हो कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो गई।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा द्वारा इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी। याचिका में उन्होंने मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराई जाये।

उनके द्वारा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी माँग की गई है। अधिवक्ता ने आयोग के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के प्रति काफी सजग है। फिलहाल इस पुरे मामले पर मानवाधिकार आयोग अपनी पैनी नजर रखे हुए है।

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/muzaffarpur/bharat-tiwari-encounter-case-human-rights-commission-notice-chief-secretary-dgp-sp-report-sought/3252370/amp

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग का एक्शन, मुख्य सचिव से लेकर SP तक को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाबभरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग का एक्शन, मुख्य सचिव से लेकर SP तक को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, DGP और भोजपुर SP को नोटिस जारी किया है. आयोग ने चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है और 13 जुलाई 2026 को मामले की समीक्षा करेगा.
Written By Manitosh kumar Edited By: Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 06:39 AM IST | Updated: Jun 23, 2026, 06:39 AM IST

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. सुनवाई करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, DGP और भोजपुर के SP को नोटिस जारी किया है तथा चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है. मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता S.K.JHA ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी. दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी गई है. आयोग के जज अनंत मनोहर बदर द्वारा 13 जुलाई 2026 को मामले की समीक्षा की जाएगी.

आपको बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो गई थी. इसके बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा द्वारा इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं.

उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराई जाए. साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है.

अधिवक्ता एस.के. झा ने आयोग के इस कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के प्रति काफी सजग है. आयोग ने भरत तिवारी मामले में तत्काल सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. फिलहाल इस पूरे मामले पर मानवाधिकार आयोग अपनी पैनी नजर बनाए हुए है.

Source: https://www.amarujala.com/bihar/muzaffarpur/muzaffarpur-bihar-news-bhrc-has-taken-cognizance-on-bhojpur-encounter-case-cs-dgp-and-sp-bhojpur-have-been-summoned-muzaffarpur-news-c-1-1-noi1376-4423494-2026-06-22

Bihar: भरत भूषण तिवारी मामले में मानवाधिकार आयोग सख्त, मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से मांगी रिपोर्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Mon, 22 Jun 2026 08:55 PM IST

भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ. एस.के. झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (बीएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

मानवाधिकार अधिवक्ता की याचिका पर हुई कार्रवाई

मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता डॉ. एस.के. झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर 13 जुलाई 2026 को इस मामले की समीक्षा करेंगे।

बिलौटी गांव में हुई थी भरत भूषण तिवारी की मौत

गौरतलब है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली और कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे थे तथा लापरवाही के आरोप भी सामने आए थे।

राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर की गई याचिका

डॉ. एस.के. झा ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग

याचिका में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

आयोग के कदम का स्वागत

डॉ. एस.के. झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर काफी सजग है। उन्होंने कहा कि आयोग पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और उच्च अधिकारियों से जवाब मांगकर सख्त रुख अपनाया है।

चार सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट

मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सभी की नजरें 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई और आयोग की समीक्षा पर टिकी हुई हैं।

Dainik Bhaskar, Online News, 23/06/2026

Source: https://www.bhaskar.com/g/local/bihar/muzaffarpur/news/bhojpur-encounter-bharat-tiwari-human-rights-commission-report-hearing-138260740.html

Hindi NewsLocalBiharMuzaffarpurBhojpur Encounter | Human Rights Commission Seeks Report From CS, DGP, SP

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट:मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव-डीजीपी और भोजपुर एसपी से मांगा ब्योरा; 13 जुलाई को समीक्षा
मुजफ्फरपुर 14 घंटे पहले

भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से 4 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई और समीक्षा 13 जुलाई को की जाएगी।

यह कार्रवाई मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा की ओर से दायर याचिका पर की गई है। अधिवक्ता ने भोजपुर एनकाउंटर को लेकर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।

एनकाउंटर की तस्वीरें...

एनकाउंटर की परिस्थितियों पर सवाल उठाए

मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत से जुड़ा है। परिजनों और याचिकाकर्ता की ओर से एनकाउंटर की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए हैं। इसी को लेकर आयोग ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर की पीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 13 जुलाई को पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच हो

अधिवक्ता एस.के. झा ने अपनी याचिका में मांग की है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। पूरे मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है।

अधिवक्ता झा ने आयोग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर गंभीर और सजग है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग की निगरानी में मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-human-rights-violation-bihar-human-rights-commission-takes-cognizance-of-encounter-case-201782142291443.amp.html

बिहार मानवाधिकार आयोग ने भरत भूषण एनकांउटर के मामले में तलब की रिपोर्ट
Jun 22, 2026 09:01 pm IST
Newswrap हिन्दुस्तान, आरा

-मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान , भोजपुर के बिलौटी एनकाउंटर और भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में पुलिस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार मानवाधिकार आयोग की ओर से इस...

-मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान -मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ पुलिस अधीक्षक से मांगी गयी रिपोर्ट -राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी एनकाउंटर मामले में लिया संज्ञान आरा, हि.सं.। भोजपुर के बिलौटी एनकाउंटर और भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में पुलिस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार मानवाधिकार आयोग की ओर से इस मामले में रिपोर्ट तलब की गयी है।

शिकायत की प्रक्रिया
मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार के अधिवक्ता एस के झा की शिकायत पर आयोग की ओर से बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और भोजपुर पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले में तथ्य के साथ रिपोर्ट तलब की गयी है। वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है।

कानूनी कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अनिकेश तिवारी की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें भोजपुर पुलिस पर सरेंडर करने और हथियार डालने के बाद भी भरत भूषण तिवारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

मानवाधिकार का हनन
इधर, अधिवक्ता एस के झा की ओर से बिहार मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करायी गयी है कि आत्म समर्पण करने के बावजूद पुलिस ने बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गयी। यह पूरा मानवाधिकार का हनन है।

Source: https://thewirehindi.com/331462/noida-minor-arrest-kins-question-up-police-version-after-nhrc-takes-suo-motu-cognizance/

नोएडा: किशोर की गिरफ़्तारी पर एनएचआरसी के संज्ञान के बाद पीड़ित परिवार का पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप

नोएडा श्रमिक आंदोलन मामले में एक नाबालिग को दो महीने तक वयस्क क़ैदियों के साथ जेल में रखे जाने पर द वायर हिंदी की रिपोर्ट का एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने उक्त किशोर को 'दिनेश' कहते हुए बालिग होने का दावा किया है. दिनेश नाबालिग के बड़े भाई हैं और उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें एक वीडियो में अपने भाई द्वारा उनका आधार कार्ड चुराकर नौकरी करने की बात स्वीकारने को कहा है.

श्रुति शर्मा
23/06/2026 भारत/विशेष

नई दिल्ली: नोएडा मजदूर आंदोलन से जुड़े मामले में एक 16 वर्षीय नाबालिग नितिन (परिवर्तित नाम) को लगभग दो महीने तक वयस्क कैदियों के साथ जेल में रखे जाने संबंधी द वायर हिंदी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया है.

इसके बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बयान जारी कर दावा किया कि गिरफ्तारी के समय उसने स्वयं अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी, और प्रारंभिक चिकित्सीय परीक्षण में उसकी उम्र '18 वर्ष दर्ज की गई थी.'

इसके अलावा पुलिस ने अपने बयान के साथ एक आधार कार्ड की प्रति जारी की, जिसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 2007 और नाम 'दिनेश' दर्ज है. पुलिस के अनुसार, यह आधार कार्ड 'नितिन* उर्फ़ दिनेश' का है. बयान में कहा गया कि वह नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत था और नियुक्ति के समय जमा किए गए आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2007 दर्ज थी.

हालांकि, नितिन के वकील माणिक गुप्ता यह पुष्टि करते हैं कि पुलिस ने अपने बयान के साथ जो आधार कार्ड की प्रति लगाई है वह नितिन* उर्फ़ दिनेश की नहीं है, बल्कि उनके बड़े भाई दिनेश की है.

गौरतलब है कि दिनेश ने इससे पहले द वायर हिंदी के साथ बातचीत में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी नोएडा में काम नहीं किया है. उन्होंने बताया कि नितिन* की गिरफ़्तारी से पहले हाल के दिनों में वह सिर्फ़ एक मौके पर नोएडा आए थे.

दिनेश कहते हैं, 'मैंने नोएडा का रास्ता भी नहीं देखा हुआ है. मैंने सिर्फ़ पंजाब और हरियाणा में मजदूरी की है.' दिनेश ने यह भी दावा किया कि उनका भाई नितिन भी नोएडा की किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता था, बल्कि एक किराने की दुकान पर हेल्पर (सहायक) था.

ज्ञात हो कि नोएडा मज़दूर आंदोलन के संबंध में नितिन को 14 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था. उनके आधार कार्ड पर उनकी उम्र 16 वर्ष दर्ज है, लेकिन उनके साथ वयस्क आरोपियों की तरह व्यवहार किया गया और लगभग दो महीने तक जेल में रखा गया था. अस्थि परीक्षण (ओसिफ़िकेशन) जांच यानी अनुमानित उम्र का पता लगाए जाने के लिए की जाने वाली जांच में नाबालिग साबित होने के करीब एक हफ़्ते बाद 12 जून को उन्हें जुवेनाइल होम में स्थानांतरित किया गया. बाद में 18 जून को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया.

हालांकि, एफआईआर संख्या 165 में उन्हें कोर्ट द्वारा 29 मई को जमानत दे दी गई, लेकिन 45 हज़ार की जमानत राशि नहीं दे पाने के कारण उन्हें 3 और हफ़्ते जेल में गुज़ारने पड़े.

इसके बाद 19 जून को एनएचआरसी ने नितिन के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी. साथ ही एनएचआरसी की जांच शाखा को मौके पर जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया.

पुलिस पर गंभीर आरोप

नितिन* के बड़े भाई दिनेश ने द वायर हिंदी को बताया कि 20 जून को शाहजहांपुर जिले स्थित उनके गांव पुलिस आई और उनसे नितिन के बारे में पूछताछ की. दिनेश के अनुसार, पुलिस ने उनसे कहा कि 'तुम्हारा भाई तुम्हारे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर नोएडा की एक निजी फैक्ट्री में काम करता था.'

दिनेश ने पुलिस के इन दावों को ख़ारिज करते हुए कहा, 'नितिन किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि किराने की दुकान में काम करता था. और अगर मान भी लिया जाए कि नितिन मेरे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर भी रहा था, तो क्या फैक्ट्री वालों को यह समझ नहीं आएगा कि वह दूसरे के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी उम्र क्या है.'

दिनेश ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'मेरे गांव आए पुलिसवालों ने मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा, जिसमें मुझे यह कहना था कि मैं कभी नोएडा नहीं गया हूं और नितिन मेरे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर वहां काम करता था.'

दिनेश ने कहा, 'मुझसे कहा जा रहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में यह बोलूं कि मेरा भाई मेरा आधार कार्ड लेकर नोएडा में काम करता था. लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे भाई ने कभी मेरा आधार कार्ड नहीं लिया.'

द वायर हिंदी द्वारा यह पूछे जाने पर कि पुलिस के पास उनका आधार कार्ड कैसे पहुंचा, दिनेश कहते हैं, 'नितिन के जेल जाने के बाद कानूनी प्रकिया और उससे मिलने के दौरान मैंने कई बार अपने आधार कार्ड की प्रति पुलिस और अन्य अधिकारियों के पास जमा कराई थी. वहीं से पुलिस को मिला होगा.'

दिनेश ने यह भी बताया कि पुलिस ने उनसे किसी पेपर पर साइन भी करवाए. दिनेश बताते हैं कि उस पर शायद यह लिखा था कि वे मज़दूर हैं और ईंट भट्ठे पर काम करते हैं.

उधर, नितिन के वकील माणिक गुप्ता का कहना है कि पुलिस यह सब कहानियां ख़ुद को बचाने के लिए गढ़ रही है.

पुलिस के दावे की पड़ताल: क्या हो रही है भरमाने की कोशिश?

एनएचआरसी को जवाब देते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने अपने बयान में दावा किया है कि 'नितिन उर्फ़ दिनेश' ने उनसे अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी.

हालांकि, ज़मानत मिलने के बाद द वायर हिंदी से बातचीत में नितिन ने बताया कि 'पुलिस जब भी मेरी उम्र पूछती थी तो मैं उन्हें अपनी उम्र 16 वर्ष बताता था, लेकिन वे मेरी उम्र 18-19 साल लिख देते थे.' नितिन ने कहा कि उन्होंने पुलिस या किसी अन्य कर्मी को कभी नहीं बताया कि उनकी उम्र 19 वर्ष है.

पुलिस ने यह भी दावा किया है कि 'नितिन उर्फ़ दिनेश पुत्र रामदीन कंपनी स्टोंच इलैक्ट्रोनिक इंडिया एलएलपी ए-9, सेक्टर 83, फेज 2 में कार्यरत था, और उसने कंपनी में पंजीकरण करते समय दिनेश, 19 वर्ष (बालिग), नाम से बने आधार कार्ड को दाख़िल किया था.'

नितिन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह कभी किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम नहीं करता था, बल्कि भंगेल इलाके में एक किराने की दुकान पर काम करता था.

मज़दूर आंदोलन में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए नितिन ने कहा था, 'वो आंदोलन फैक्ट्री में काम करने वाले कर रहे थे, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं था, मैं तो दुकान पर काम करता था.'

पुलिस के बयान के बाद नितिन के वकील माणिक गुप्ता ने भी कई सवाल उठाए हैं. पुलिस अपने बयान में नितिन को 'नितिन उर्फ दिनेश' कह कर संबोधित कर रही है.

इसे लेकर गुप्ता कहते हैं, 'पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गिरफ्तार किए गए किशोर को 'नितिन उर्फ दिनेश' बताया जाना समझ से परे है. दिनेश कोई उपनाम नहीं बल्कि नितिन का बड़ा भाई है.

वकील का आरोप है कि पुलिस अब दोनों भाइयों की पहचान को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि नितिन के मामले में उठे सवालों के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए नए स्पष्टीकरण तलाश रही है.

माणिक गुप्ता ने आशंका जताई कि पुलिस अब दिनेश को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है.

उन्होंने द वायर हिंदी से कहा, 'नितिन के मामले में जो कुछ हुआ है, उसके बाद ऐसा लगता है कि पुलिस अब अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है. हमें आशंका है कि दिनेश को भी इस मामले में घसीटा जा सकता है.'

दिनेश ने भी यही डर ज़ाहिर किया है. वह कहते हैं, 'अगर पुलिस नितिन के बाद अब मुझे भी फंसाती है तो फिर मैं क्या करूंगा! नितिन के मामले में मेरे परिवार को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी है, अगर अब मुझे फंसाया जाता है तब मेरा परिवार और तबाह हो जाएगा. मुझे समझ नहीं आ रहा पुलिस मेरे जैसे

गरीब परिवार के पीछे क्यों पड़ी है.’

क्या कहती है पुलिस?

नितिन के वकील माणिक गुप्ता ने द वायर हिंदी को बताया कि नोएडा फेज-2 थाने के एसआई नवनीत कुमार ने दिनेश को उनके गांव जाकर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था. गुप्ता का दावा है कि नवनीत कुमार ने उनसे फोन पर हुई बातचीत के दौरान इस बात को स्वीकार भी किया था.

हालांकि, द वायर हिंदी द्वारा जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात से स्पष्ट इनकार किया. उनका कहना था कि वह शाहजहांपुर जिले में नितिन के गांव गए ही नहीं हैं और उन्हें दिनेश से वीडियो बनवाने के कथित प्रयास के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

इससे पहले द वायर हिंदी ने रविवार देर रात गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट को ईमेल के माध्यम से सवाल भेजे हैं, जिनका इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक कोई जवाब नहीं मिला है.

सोमवार को द वायर हिंदी ने इन आरोपों के संबंध में नोएडा फेज-2 थाने से भी संपर्क किया. दोपहर 2:26 बजे थाने की ओर से जिस व्यक्ति ने फोन उठाया उनका कहना था कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वे कुछ देर में इसकी जानकारी लेकर बताएंगे. इसके बाद शाम 4:14 बजे थाने से दोबारा संपर्क किया गया. इस बार फोन उठाने वाले शख्स ने ख़ुद को एसएसआई बताया, लेकिन सवाल पूछे जाने पर पिछला जवाब ही दोहराया गया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और वे जानकारी प्राप्त कर बताएंगे.

इसके बाद द वायर हिंदी द्वारा गौतमबुद्ध नगर पुलिस के मीडिया सेल से भी संपर्क किया. सोशल मीडिया सेल में सुशील नाम के व्यक्ति ने फोन उठाया और कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और इस बाबत थाना प्रभारी ही जानकारी दे सकते हैं.

इसी कड़ी में गौतमबुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से भी संपर्क किया गया, लेकिन कॉल नहीं उठाया गया. पुलिस की ओर से जवाब मिलने पर रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा.

(*बदला हुआ नाम)

Head Topics, Online News, 23/06/2026

Source: https://in.headtopics.com/news/235423262344231115371-84805371

लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 15 छात्रों की मौत पर NHRC ने दर्ज की शिकायत

lucknow fire incident reaches national human rights commission nhrc registers complaint over the deaths of 15 students
📆 23-06-2026 02:35:00

लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में देशभर के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच और छात्रों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 15 छात्रों की मौत पर NHRC ने दर्ज की शिकायत लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई है।अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उठाया गया है। नोएडा निवासी व पूर्व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व शिक्षक रहे डा.

राजीव कुमार गुप्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज कर देशभर के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच कराने और छात्रों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आयोग ने शिकायत स्वीकार कर इसे डायरी संख्या 14383/आइएन/2026 के रूप में दर्ज किया है। डॉ.

गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि लखनऊ के अलीगंज में हुई यह घटना कोई पहली दुर्घटना नहीं है। इससे पहले 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव की घटना में तीन छात्रों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 26 मई 2019 को अहमदाबाद में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में 22 छात्रों की जान चली गई थी। शिकायत में कहा गया है कि देशभर में कोचिंग संस्थानों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे छोटे-छोटे कमरों और बंद जगहों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां जीवन रक्षक सुविधाएं और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होते हैं। उन्होंने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर पहले भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि उस मामले में कोई ठोस सुधार नहीं हो सका। शिकायत में लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों में मयंक गुप्ता सहित 15 युवाओं का उल्लेख किया गया है। आयोग से मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।

Hindustan Samachar, Online News, 23/06/2026

Source: https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2026/6/22/NHRC-NOTICE-TAMILNADU-GOVT.php

तमिलनाडु गैस रिसाव मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान
22 Jun 2026 19:00:53

नई दिल्ली, 22 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक झींगा प्रसंस्करण कारखाने में अमोनिया गैस रिसाव मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इस हादसे में दो महिला श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक कर्मचारी बीमार पड़ गए। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
प्रकाशित खबरों के अनुसार यह हादसा रविवार (21 जून) को उस समय हुआ, जब कारखाने के कर्मचारी पास के ही एक कमरे में आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया और जहरीली गैस उस कमरे में फैल गई। गैस के प्रभाव से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कमरे में मौजूद अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। हादसे के तुरंत बाद 59 श्रमिकों को चेन्नई और तिरुवल्लूर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
आयोग ने रिपोर्ट में श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति के साथ-साथ, मृतक श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजा का विवरण भी शामिल करने का निर्देश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://vocaltv.in/national/nhrc-notice-tamilnadu-govtphp/cid18872139.htm

तमिलनाडु गैस रिसाव मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान
By VocalTV Desk | Jun 22, 2026, 19:00 IST

नई दिल्ली, 22 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक झींगा प्रसंस्करण कारखाने में अमोनिया गैस रिसाव मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इस हादसे में दो महिला श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक कर्मचारी बीमार पड़ गए। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

प्रकाशित खबरों के अनुसार यह हादसा रविवार (21 जून) को उस समय हुआ, जब कारखाने के कर्मचारी पास के ही एक कमरे में आराम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया और जहरीली गैस उस कमरे में फैल गई। गैस के प्रभाव से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कमरे में मौजूद अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। हादसे के तुरंत बाद 59 श्रमिकों को चेन्नई और तिरुवल्लूर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

आयोग ने रिपोर्ट में श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति के साथ-साथ, मृतक श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजा का विवरण भी शामिल करने का निर्देश दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी

Source: https://ndtv.in/india/bihar-bharat-bhushan-tiwari-encounter-bihar-police-support-encounter-killings-encounter-nhrc-data-11672995

बिहार के 10 में से 4 पुलिसवाले एनकाउंटर को मानते हैं सही, फिर क्यों फूटा गुस्सा? जानें कब चला सकते हैं गोली

बिहार में 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हो गया था. इस पर बवाल बढ़ता जा रहा है. जानते हैं कि एनकाउंटर पर आंकड़े क्या कहते हैं?
Written by: प्रियंक द्विवेदी देश जून 23, 2026 07:42 am IST

नई दिल्ली:
बिहार के भोजपुर के बिलौती गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर बवाल खड़ा हो गया है. इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है. आरोप है कि भरत तिवारी ने हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था, फिर भी पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई. वहीं, पुलिस का कहना है कि भरत लगातार गोली चला रहे थे, जिसके चलते जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.

भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था. लगभग एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है.

बिहार सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है. हालांकि, विपक्ष सरकार पर हमलावर है. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे 'फर्जी एनकाउंटर' बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से माफी मांगने की मांग की है.

हाई कोर्ट में याचिका दायर

भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला पटना हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि एनकाउंटर से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भरत तिवारी अपने हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई दे रहे हैं. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि अगर वह वाकई हथियारबंद था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया या हथियार जब्त क्यों नहीं किया.

भरत तिवारी के परिवार वालों ने भी इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है. उनका दावा है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था.

क्या पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर सकती है?
अक्सर जब भी एनकाउंटर होता है, तब पुलिस की ओर से यही कहा जाता है कि सामने वाला अपराधी गोलीबारी कर रहा था, जिसके जवाब में उन्हें भी गोली चलानी पड़ी. इस मामले में भी पुलिस का यही कहना है कि भरत तिवारी ने 10 से 12 गोलियां चलाई थीं.

खैर, पुलिस को गोली चलाने का अधिकार सिर्फ दो हालात में ही मिला है. पहला- सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा. और दूसरा- अगर कोई अपराधी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है.

23 मार्च 1997 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस एमएन वेंकटचलैया ने एक नोट भेजा था, जिसमें लिखा था- 'कानून के तहत पुलिस को किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं दिया गया है. अगर पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति की जान ले लेता है तो वह गैर-इरादतन हत्या का अपराध है.'

उन्होंने अपने नोट में लिखा था, 'अगर मौत सेल्फ डिफेंस में होती है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा.' उन्होंने अपने नोट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 46 के प्रावधानों का जिक्र किया था. ये प्रावधान अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 43 में है. इस धारा के मुताबिक, पुलिस गिरफ्तारी के लिए बल का प्रयोग कर सकती है. हालांकि, पुलिस की ऐसी कार्रवाई में किसी ऐसी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, जिसमें आजीवन कारावास या मौत की सजा के प्रावधान वाला अपराध न किया हो.

जस्टिस वेंकटचलैया ने अपने नोट में लिखा था- 'किसी मामले में एनकाउंटर में हुई मौत इन दो शर्तों में से किसी एक के तहत सही थी या नहीं, इसका पता सिर्फ सही जांच से लगाया जा सकता है और किसी और दूसरे तरीके से नहीं.'

इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 38 किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा में किसी व्यक्ति की जान लेने को अपराध नहीं मानती. हालांकि, इस धारा में 7 परिस्थितियां बताई गईं हैं, जिनके तहत किसी की जान लेना आत्मरक्षा के दायरे में आती है.

एनकाउंटर पर क्या कहते हैं आंकड़े?
पुलिस एनकाउंटर में होने वाली मौतों का रिकॉर्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास होता है. NHRC के पास 2023-24 तक का डेटा है. इसके मुताबिक, 2023-24 में देशभर में पुलिस एनकाउंटर में 105 लोगों की मौत हो गई थी. इससे पहले 2022-23 में 125 और 2021-22 में 159 लोगों की जान गई थी.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-24 में पुलिस एनकाउंटर में सबसे ज्यादा 30 मौतें छत्तीसगढ़ में हुई थीं. हालांकि, इसकी एक वजह नक्सलियों का एनकाउंटर भी था. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 मौतें हुई थीं. वहीं, बिहार में 5 लोगों की मौत एनकाउंटर में हुई थी.

2025 में कॉमन कॉज की एक रिपोर्ट आई थी. इसमें बताया गया था कि देशभर के 22% पुलिस वाले 'खतरनाक अपराधी' के एनकाउंटर को जायज ठहराते हैं. उनका मानना है कि अच्छे समाज के लिए ट्रायल के बजाय एनकाउंटर कभी-कभी सही होता है.

हैरान करने वाली बात ये है कि बिहार इस मामले में पहले नंबर पर है, जिसके पुलिस वाले एनकाउंटर को सही ठहराते हैं. बिहार के 41% पुलिस वाले एनकाउंटर को सही मानते हैं. इसका मतलब हुआ कि बिहार में हर 10 में से 4 पुलिस वाले एनकाउंटर को जायज ठहराते हैं. वहीं, केरल के सिर्फ 5% और उत्तर प्रदेश के 6% पुलिस वाले ही एनकाउंटर को सही मानते हैं.

Source: https://newsonair.gov.in/hi/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-ammonia-leak-incident-at-a-processing-factory-in-tamil-nadu/

NHRC ने तमिलनाडु के प्रसंस्करण कारखाने में अमोनिया रिसाव की घटना का स्वतः संज्ञान लिया
News On AIR | जून 22, 2026 8:59 अपराह्न

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक झींगा प्रसंस्करण कारखाने में अमोनिया रिसाव के बाद दो महिलाओं की मौत और कई अन्य के बीमार पड़ने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है।

आयोग ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राज्य सरकार को घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-lucknow-fire-incident-reaches-national-human-rights-commission-nhrc-registers-complaint-over-the-deaths-of-15-students-40282073.html

लखनऊ अग्निकांड का मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 15 छात्रों की मौत पर NHRC ने दर्ज की शिकायत
By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 23 Jun 2026 07:46 AM (IST)

लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में आग से 15 छात्रों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज की गई है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत के मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में उठाया गया है।

नोएडा निवासी व पूर्व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी व शिक्षक रहे डा.राजीव कुमार गुप्ता ने आयोग में शिकायत दर्ज कर देशभर के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच कराने और छात्रों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

आयोग ने शिकायत स्वीकार कर इसे डायरी संख्या 14383/आइएन/2026 के रूप में दर्ज किया है। डॉ. गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि लखनऊ के अलीगंज में हुई यह घटना कोई पहली दुर्घटना नहीं है।

इससे पहले 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव की घटना में तीन छात्रों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 26 मई 2019 को अहमदाबाद में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में 22 छात्रों की जान चली गई थी।

शिकायत में कहा गया है कि देशभर में कोचिंग संस्थानों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे छोटे-छोटे कमरों और बंद जगहों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जहां जीवन रक्षक सुविधाएं और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होते हैं।

उन्होंने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर पहले भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि उस मामले में कोई ठोस सुधार नहीं हो सका।

शिकायत में लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों में मयंक गुप्ता सहित 15 युवाओं का उल्लेख किया गया है। आयोग से मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
22.06.2026	Vistaar News	18:00	आदिवासी बेटियों का सौदा अंबिकापुर में मानव तस्करी!	02:15 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	NDTV India	14:30	क्या अगले साल तक Child Labour से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा Uttar Pradesh? -भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने संकल्प लिया है कि साल 2027 तक राज्य के किसी भी कोने में, किसी भी कारखाने, ढाबे या घर में कोई भी मासूम मजदूरी करता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन कागजी नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को कैसे मिटाया जाए? इसी मुद्दे पर देश के जाने-माने बाल अधिकार एक्टिविस्ट और वकील भुवन ऋभु ने 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' के मंच से एक बेहद व्यावहारिक और कड़ा रोडमैप दुनिया के सामने रखा है।	23:25 Min	Manas	Abc	

22.06.2026	Kalinga TV	14:20	Rayagada case: NCW seeks report from Odisha DGP -The Odisha State Commission for Women (SCW) has recorded the statement of the victim of a disrobing and molestation incident in Rayagada district, while the NCW has sought an action taken report from the DGP. Taking suo motu cognisance following media reports that the incident took place over rumours that the victim was a child-lifter, the National Commission for Women (NCW) on Monday sought details of the FIR lodged and the provisions invoked, the status of the investigation and arrests made, and action taken against those responsible for spreading rumours, besides medical care, counselling and rehabilitation provided to the survivor. The panel asked the DGP to submit the report within seven days.	04:42 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	OTV	17:30	NCW Seeks Report on Rayagada Mob Violence; DGP Asked to Submit ATR Within 7 Days -The National Commission for Women (NCW) has taken suo motu cognizance of the incident in Rayagada. It has registered a case considering the incident as a serious violation of human rights and a sensitive issue related to women's safety.	06:28 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	Kanak News	17:30	Kalyansinghpur Violence Case: National Commission for Women Steps In, Takes Serious Action -The National Commission for Women (NCW) has taken suo motu cognizance of the Kalyansinghpur violence incident, raising serious concern over the situation. The Commission has directed officials to investigate the matter and submit a detailed report. The case has been treated with urgency due to concerns related to women's safety and law and order in the region. Authorities are now expected to take appropriate steps based on the findings of the investigation. The incident has sparked widespread attention and demands for strict action.	01:06 Min	Breaking News	Aditi	
22.06.2026	TV9 Telugu	11:30	Kurnool Gangamma Case -In a major development regarding the controversial custodial death case of Gangamma in Kurnool district, eyewitness Dargappa's official statement has been recorded following recent court orders. This high-profile case has seen a significant turn as the investigation intensifies and legal proceedings advance. Watch the video for complete details on the court's directives, the witness statement process, and what this update means for the ongoing investigation.	00:52 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	TV9 Telugu	19:30	Ambati Rambabu Comments on Gade Sai Krishna Case -YSRCP senior leader and former minister Ambati Rambabu made sensational comments regarding the mysterious disappearance and alleged custodial death case of Vijayawada youth Gade Sai Krishna. Speaking to the media, Ambati Rambabu demanded a strict and comprehensive investigation into the case, stating that interrogating the suspended Krishna Lanka Circle Inspector SSV Nagaraju will bring all the shocking facts and hidden realities out to light. He accused the police department of attempting a massive cover-up after the alleged lock-up incident. Watch the full video for Ambati Rambabu's sharp statements, political reactions, and the latest ground updates on the ongoing SIT probe.	01:23 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	MediaoneTV	19:20	Child with ruptured appendix given medicine for gas; Complaint filed against Kozhikode Medical College Maternal and Child Hospital; Fourth-grader sought treatment |	04:51 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	01st India	14:00	प्रसूताओं की मौत में नहीं चिकित्सकीय लापरवाही,चिकित्सा मंत्री गजेद्र सिंह खींवसर ने नागौर और डीडवाना के प्रकरण पर ली रिपोर्ट,रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा मंत्री खींवसर ने दी फर्स्ट इंडिया को जानकारी,बताया-'नागौर में 21 वर्षीय प्रसूता की सुबह हुई थी डिलीवरी,'दोपहर बाद अचानक प्रसूता को हुआ चेस्ट पेन और उल्टियां,'चिकित्सकों के हर संभव प्रयास के बावजूद भी नहीं बचाया जा सका' जबकि दूसरी ओर डीडवाना के प्रकरण को लेकर बोले चिकित्सा मंत्री खींवसर,कहा -'खुनखुना निवासी मोनिका स्थानीय स्तर पर ले रही थी ट्रीटमेंट,'कल अलसुबह उसे राजकीय बांगड़ अस्पताल में कराया गया भर्ती' 'जहां 200/150 चल रहा था प्रसूता का ब्लड प्रेशर 'चिकित्सकों ने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का हरसंभव प्रयास किया,'लेकिन दुर्भाग्यवश प्रसूता को नहीं बचाया जा सका,चिकित्सा मंत्री ने दोनों ही प्रकरणों में किसी भी लापरवाही से किया इनकार,खींवसर ने कहा-'हमारे चिकित्सा संस्थान मरीजों की सेवा के लिए 24X7 लगातार कार्यरत,'हमारे चिकित्सकों पर भरोसे का ही परिणाम कि रोजाना हजारों की तादाद में मरीज ले रहे ट्रीटमेंट,'हमारे चिकित्सा संस्थानों में प्रसव की सफलता दर 99.99 फीसदी है, चिकित्सा मंत्री ने कहा-'इस तरह भ्रांतियां फैलाकर आमजन को गुमराह करना गलत'	07:40 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	News18 Rajasthan	12:20	जोधपुर :, 8 प्रसूताओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत... कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल का है मामला... 20 जून को सभी की सिजेरियन डिलीवरी होने की है सूचना ... 6 प्रसूताओं को सेप्टीसीमिया और दो प्रसूताओं की किडनी खराब होने की सूचना ... दो प्रसूताओं की हालत बताई जा रही गंभीर ... दोनों को एमडीएम अस्पताल की आईसीयू में कराया गया भर्ती... संक्रमण की आशंका के चलते ऑपरेशन थिएटर को किया गया सीज.. दवाओं के लिए गए सैंपल..	05:43 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	Bharat Samachar	13:30	Rajasthan Hospital News: Kota, Bikaner और Jodhpur के बाद Didwana में डिलीवरी के बाद महिला की मौत -डीडवाना के गवर्नमेंट बांगड़ जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दी है। वहीं, कार्यवाहक पीएमओ ने बताया कि प्रसव के दौरान महिला को अचानक 'ताण' (दौरे) आने से उसकी मौत हुई है।	04:20 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	Republic Bharat	19:40	बीकानेर में 48 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत से मंचा हड़कंप. राजस्थान के बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम (PBM) अस्पताल से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सिजेरियन डिलीवरी (ऑपरेशन) के बाद गंभीर इन्फेक्शन और किडनी फेल होने के कारण दो प्रसूताओं की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।	04:44 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	News24	16:10	हिमाचल में डॉक्टरों की लापरवाही! डिलीवरी के बाद महिला की मौत, एक दिन की नवजात ने खोई मां -हिमाचल प्रदेश में कथित चिकित्सकीय लापरवाही का दर्दनाक मामला सामने आया है। डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महज एक दिन की नवजात बच्ची जन्म लेते ही मां के साये से वंचित हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं	05:30 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	News24 Rajasthan	19:10	Nagaur : Delivery के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मचा हडकंप	01:11 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	Prabhat Khabar	13:20	Bharat Tiwari मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने DGP से लेकर SP तक को किया तलब -भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच तेज हो गई है और मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने पहली बार कार्रवाई में चूक स्वीकार की है. मामले में SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. अब इस केस की जांच वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है और सबकी नजर रिपोर्ट पर टिकी है.	02:51 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	Kanak News	14:30	Kalayansinghpur case: NCW, NHRC seeks report from Odisha DGP -The incident reportedly took place on the night of June 16 in Kalyansinghpur area of Rayagada after rumours of 'child lifters' spread in the locality, leading to an alleged attack on two interns of an NGO. The Commission has sought detailed information on the FIR registered in the case, including provisions invoked under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023.	05:10 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	Kanak News	19:30	Rayagada Mob Assault Reaches NHRC; Chief Minister & Governor Impleaded -In a major legal twist to the horrific Rayagada mob violence case, a formal petition has been filed before the National Human Rights Commission (NHRC). The petition demands heavy financial compensation for the brutally thrashed female NGO worker and seeks strict accountability from top state authorities.	03:45 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	Kalinga TV	18:30	NHRC, NCW Seeks Report From Odisha DGP On Rayagada Lynching Case -The Odisha State Commission for Women has recorded the statement of a 22-year-old NGO worker who was allegedly disrobed and molested by a mob in Rayagada district, while the National Commission for Women has sought an action taken report from the state police chief. The NCW took suo motu cognisance of the incident after media reports said the attack took place over rumours that the woman was a child-lifter.	04:20 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	Kanak News	15:30	Tamil Nadu Gas Leak Incident: NHRC Launches Suo Motu Investigation After Worker Death -A tragic gas leak incident in Tamil Nadu has resulted in the death of a worker, triggering serious concern and immediate intervention by the National Human Rights Commission (NHRC). The NHRC has taken suo motu cognizance of the case and ordered a detailed investigation into the circumstances surrounding the incident. Authorities are now examining safety lapses and possible negligence that may have led to the fatal accident. The incident has raised fresh questions about industrial safety standards and worker protection measures in the region. Further official updates are awaited as the investigation continues.	01:26 Min	Breaking News	Abc	

22.06.2026	Prameya News	17:20	Rayagada Mob Assault Case Reaches NHRC, Probe Demanded Into Incident -In a major legal twist to the horrific Rayagada mob violence case, a formal petition has been filed before the National Human Rights Commission (NHRC). The petition demands heavy financial compensation for the brutally thrashed female NGO worker and seeks strict accountability from top state authorities.	04:10 Min	Breaking News	Abc	
22.06.2026	TV9 Punjab-Himachal Pradesh-J&K	15:00	Punjab: पुलिस एनकाउंटर का मामला पहुंचा Human Rights Commission के पास, 35 मामलों ने बिगाड़ी कहानी! - पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने राज्य में कथित पुलिस एनकाउंटरों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पंजाब मानवाधिकार संगठन (पीएचआरओ) के अध्यक्ष रंजीत सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने पंजाब के डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने पंजाब पुलिस को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 जून 2026 को निर्धारित की गई है। शिकायत में राज्यभर में हुए 35 पुलिस एनकाउंटरों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई मामलों में पुलिस की कार्रवाई का पैटर्न लगभग एक जैसा दिखाई देता है।	01:54 Min	Exclusive	Mohit Malhotra	